कार्यालय एकल सदस्यीय जॉच आयोग, मथुरा

OFFICE OF THE SINGLE MEMBER COMMISSION OF ENQUIRY, MATHURA

(जॉच आयोग अधिनियम, 1952 {अधिनियम संख्या 60 सन् 1952} के अन्तर्गत गठित)

(SET UP UNDER THE COMMISSION OF ENQUIRY ACT, 1952 (ACT NO. LX OF 1952)

178/152, प्रथम तल, बद्री नाथ रोड, गोला गंज, लखनऊ (काम चलाऊ व्यवस्था के अधीन अस्थाई मुख्यालय)

पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण गृह, सिविल लाइन्स, मथुरा (शिविर कार्यालय)

178/152, First Floor, Badri Nath Road, Gola Ganj, Lucknow (Improvised Head Office)

PWD Inspection House, Civil Lines, Mathura (Camp Office)

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

जनपद मथुरा (उत्तर प्रदेश) में उद्यान विभाग के स्वामित्व वाली जवाहर बाग की भूमि पर स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह/स्वाधीन भारत सुभाष सेना के बैनर तले अवैध अधिक्रमण, जवाहर बाग परिसर को धरना देने वालों और अधिक्रमणधारियों से खाली कराये जाने के लिए दिनांक 2 जून, 2016 को पुलिस बल/प्रशासनिक अधिकारियों के आगमन पर धरना देने वालों/अधिक्रमणधारियों द्वारा किए गये/की गई पथराव एवं अंधाधुंध फायरिंग जिसमें श्री मुकुल द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक (नगर), मथुरा, श्री सन्तोष यादव, थानाध्यक्ष, थाना फरह, मथुरा तथा कतिपय धरना देने वालों/अधिक्रमणधारियों की मृत्यु हो गयी थी एवम् कतिपय अन्य पुलिस एव प्रशासनिक कर्मी व धरना देने वाले/अधिक्रमणधारी घायल हुए हैं, के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 02 जून, 2016 को घटित उक्त घटना की जॉच कर निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट देने के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री मिर्ज़ा इम्तियाज़ मुर्तज़ा, पूर्व न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता मे जॉच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एकल सदस्यीय जॉच आयोग गठित किया गया है:

(क) उन कारणों एव परिस्थितियों को अभिनिश्चित करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई;

(ख) पुलिस एवं प्रशासन, मथुरा द्वारा कार्ययोजना/रणनीति की रूप रेखा में जवाहर बाग, मथुरा को अधिक्रमणधारियों से रिक्त कराये जाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना को रोकने से सम्बन्धित सभी पहलुओं के समावेश को अभिनिश्चित करना;

(ग) प्रकरण के सम्बन्ध में अभिसूचना तंत्र द्वारा दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जॉच करना;

(घ) जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जॉच करना;

(ङ) पर्यवेक्षणीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जॉच करना;

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना।

In regard to the matter dealing with illegal encroachment on the land of Jawahar Bagh owned by Horticulture Department in District Mathura (Uttar Pradesh), under the banner of Swadheen Bharat Vidhik Satyagrah/Swadheen Bharat Subhash Sena, evacuation of Jawahar Bagh premises from the squatters/

encroachers and fierce attack on the police force and administrative officers on 2nd June, 2016, in which Shri Mukul Dwivedi, S.P. (City), Mathura, Shri Santosh Kumar Yadav, Station Officer, Farah and certain squatters/encroachers lost their lives & various other Police, Administrative Personnel and certain squatters/ encroachers sustained injuries, the State Government of Uttar Pradesh has constituted a Single Member Inquiry Commission, under the Commission of Enquiry Act, 1952 with **Hon'ble Mr. Justice Mirza Imtiyaz Murtaza**, Former Judge, High Court of Judicature at Allahabad, as its Chairman, to inquire into and submit report with a view to :

(a) Ascertaining reasons and circumstances which led to the said incident,

(b) Ascertaining whether action-plan/strategy outlined by police and Administration of Mathura, to evacuate Jawahar Bagh, Mathura from encroachers, encompassed all aspects to prevent any Intelligence machinery,

(c) Enquiring into Intelligence inputs supplied by Intelligence Machinery,

(d) Ascertaining role of District Police and administrative officials,

(e) Ascertaining role of supervisory Police and Administrative officials,

(f) Making necessary suggestions to prevent recurrence of such incidents in future

अतएव अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था जो उक्त विषयों पर वैयक्तिक अथवा विनिर्दिष्ट जानकारी रखता/रखते/रखती है तथा उक्त तथ्यों से न्यायिक जॉच आयोग को अवगत कराना चाहता है/चाहते हैं/चाहती है, तो वह विधिवत निष्पादित शपथ पत्र पर अपना सशपथ लिखित वक्तव्य इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करा सकता है/सकते हैं/सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उक्त घटना से सम्बन्धित कोई लिखित सामग्री, वास्तविक फोटोग्राफ, दृष्टिचित्र, वास्तविक वीडियो क्लिपिंग आदि उपलब्ध कराना चाहता है तो वह/वे उक्त लिखित सामग्री, छेडछाड़ रहित फोटोग्राफ, दृष्टिचित्र, वीडियो क्लिपिंग आदि को भी यथा विधि निष्पादित शपथ पत्र के साथ विधिवत निष्पादित शपथ पत्र के साथ इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करा सकता है/सकते हैं/सकती हैं।

It is, therefore, requested that any person or institution or group of persons who has personal or distinctive knowledge regarding the said incidents and/or desires/ desire that facts known to him/her/it should come to the notice of the Commission of Enquiry, may send his/her/its statement on duly sworn affidavit or may submit any material in writing or truthful photograph or actual i.e. undistorted video clippings to the Commission of Enquiry at the address given above within THIRTY DAYS from publication of this notice.

यदि किसी/किन्ही व्यक्ति/व्यक्तियों का शपथ पूर्वक पृच्छा कथन लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक होगा तो उसे/उन्हे अपरिहार्य किन्तु सामान्य यात्रा व्यय भी अनुमन्य होगा।

In case he/she is required to be examined on oath indispensable but normal travelling expenses will be borne by the Commission of Enquiry.

सम्बन्धित व्यक्ति / संस्था उक्त न्यायिक जाँच आयोग के कार्यालय मे वैयक्तिक रुप से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त न्यायिक जाँच आयोग के सचिव श्री प्रमोद कुमार गोयल, सेवा निवृत्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश से उनके मोबाईल फोन संख्या 7599121212 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

The concerned person(s) may also contact personally in the office of the Commission or to the Secretary of the Commission of Enquiry, Shri Pramod Kumar Goel, Former District and Sessions Judge, on Mobile No. 7599121212.

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अभिसाक्षी, व्यक्ति अथवा अधिकारी, ऐसा चाहता है तो उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जायेगी।

It is made clear that if any witness, private individual or official, if so desires, his/her identity would be not made public.

माननीय आयोग के आदेश से

(प्रमोद कुमार गोयल)
सचिव, एकल सदस्यीय जॉच आयोग, मथुरा /
सेवा निवृत्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्यालयः 178 / 152, प्रथम तल, बद्री नाथ रोड, गोला गंज, लखनऊ
शिविर कार्यालयः पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण गृह, सिविल लाइन्स, मथुरा

By Order of the Hon'ble Commission

(Pramod Kumar Goel)
Secretary to the Single Member Commission of Enquiry, Mathura/
Former District & Sessions Judge
Head Quarter: 178/152, First Floor, Badri Nath Road, Gola Ganj, Lucknow.
Camp Office: PWD Inspection House, Civil Lines, Mathura.